न्यायालय– प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश –सह–
विशेष न्यायाधीश, भोजपुर, आरा।

एस.सी./एस.टी. मुकदमा संख्या – 385/2017

सरकार

बनाम

प्रदीप कुमार सिंह व अन्य

08.11.2019 प्रस्तुत वाद में अभियुक्त विकंटेश चौधरी की ओर से एक आवेदन दिनांक 05.09.2019 को दिया गया है। जिसमें निवेदन किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

पूकार पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि इस वाद में प्राथमिकी घटना के एक–डेढ़ महिने बाद दर्ज किया गया है। इसलिए अभियोजन की कहानी विश्वसनीय नहीं है। साथ–ही–साथ यह भी कहा जा रहा है कि अभिलेख पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन करने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है। इसलिए आवेदक अभियुक्त को इस वाद में उन्मोचित किया जाये।

दूसरी तरफ विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त आवेदन का पूरजोर विरोध किया जा रहा है।

सूना, अभिलेख का अवलोकन किया। परिवादी विजय कुमार द्वारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोजपुर, आरा के न्यायालय में परिवाद वाद संख्या 1244/2016 दर्ज किया गया। जिसे द0प्र0स0 की धारा 156;3द्ध के अंतगर्त दिनांक 29.08.2016 को आरा नगर थाना में भेजा गया, जिसके आधार पर आरा नगर थाना प्रभारी द्वारा दिनांक 14.09.2016 को भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 379/504/34 भा0द0वि0 एवं अनुसुचित जाति/जनजाति अधिनियम की धारा 3(i)(r)(s) के अंतगर्त तीन अभियुक्तों

के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया। आवेदक विकंटेश चौधरी प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है। अनुसंधानोपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा उपरोक्त धाराओं के अलावा अनुसुचित जाति/जनजाति अधिनियम की धारा 3(2)(va) के अंतगर्त भी आरोप पत्र समर्पित किया गया है। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अभिलेख दिनांक 03.04.2017 को विशेष न्यायालय को स्थानांतर किया गया है। अभियुक्तों की उपस्थिति के पश्चात् विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2018 को संज्ञान ग्रहण किया गया है। परिवादी का संक्षेप में अपने परिवाद पत्र में आरोप है कि परिवादी प्राईवेट स्कूल स्मार्ट किडस, आरा सेन्ट्रल स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और अभियोगी के स्कूल के बगल स्थित स्कूल, जिसका नाम आरा सेन्ट्रल स्कूल है, 2012 से पूर्व उक्त स्कूल में कार्यरत था और जब नये स्कूल स्मार्ट किडस के बनने के बाद अभियोगी ने नये स्कूल में नौकरी प्राप्त कर कार्य करने लगा। परिवादी का यह भी कहना है कि दोनो स्कूलों के निदेशकों मे विवाद है और जिस वर्तमान स्कूल में अभियोगी कार्यरत है, उस स्कूल को बदनाम करने के लिए अभियुक्तगण पेपरबाजी एवं पंपलेटबाजी करते है, जिसको लेकर मुकदमा हुआ है और उस मुकदमें में परिवादी साक्षी बना है। इसी बात को लेकर मुदालयगण हमेशा, जिसमें आवेदक भी है, अभियोगी को पासी जाति का नाम लेकर गाली–गलौज करता है, सबक सिखाने की धमकी देता है और अभियुक्त नम्बर 1, 2, 3 अभियोगी को फैट–मुक्का से मार–पीट भी किये है और मुदालय नम्बर 3–सह–आवेदक अभियोगी के पॉकेट से 3000/– रूपया भी निकाल लिया था और तरह–तरह से अभियोगी को प्रताड़ित किये है। अभिलेख पर उपलब्ध काण्ड दैनिकी के पारा 1, 5, 6, 7, 8, 9 एवं 18, 22 के अवलोकन से पाया जाता है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोप गठन करने हेतु अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है। इसलिए आवेदक का आवेदन निराधार है। अत : आवेदक अभियुक्त का आवेदन खारिज किया जाता है।

दिनांक 26–11–2019 वास्ते आरोप गठन हेतु।

8/11/19

विशेष न्यायाधीश,
भोजपुर, आरा।